भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2056

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति

2056. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल सहित देश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2022-23 के लिए पीएमजेवीके के अंतर्गत केरल द्वारा प्रस्तुत की गई 23 नई परियोजनाओं को सरकार द्वारा आज की तिथि तक अनुमोदित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केरल में पीएमजेवीके के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन लागत में वृद्धि के कारण अनुमानों को संशोधित करने में सरकार की अनिच्छा के कारण रुका हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी परियोजनाओं के अनुमानों को संशोधित करने या उसी परिव्यय के साथ नई परियोजनाओं को मंजूरी देने का विचार है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक ढांचा और मूलभूत सुविधाएं विकसित करना है। योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं तथा कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (UT) द्वारा निष्पादित/कार्यान्वित की जाती है और मात्र उन्ही के द्वारा प्रबंधित और अनुरक्षित की जाती है। मंत्रालय समय-समय पर संबंधित राज्यों/राज्य सरकारों को स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पिछली समीक्षा बैठक दिनांक 07.11.2023 को आयोजित की गई थी। जिसमें केरल सरकार उपस्थित नहीं हुई थी। जबकि उन्हें समयानुसार सूचना/आमंत्रण दिया गया था।

योजना के तहत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को नई परियोजनाओं की मंजूरी और नई राशि जारी करने को अब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन/निष्पादन में प्रगति, व्यय की गति, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र और राज्य सरकार के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि से पहले से स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित डेटा का मिलान, पीएफएमएस पोर्टल पर लेजेसी डेटा अपलोड करना, संपत्तियों की जियो-टैगिंग, पहले जारी किए गए भारत सरकार के फंड पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अर्जित ब्याज का हस्तांतरण के साथ जोड़ा गया है। ये शर्तें देशभर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं। दिनांक 7.11.2023 तक केरल राज्य के पास पहले ही जारी की गई धनराशि में से 80.50 करोड़ रुपये अव्ययित शेष था। दिनांक 08.12.2023 को भी यह राशि रु. 80.28 करोड़. रूपए थी। राज्य ने भारत सरकार की निधियों पर अर्जित ब्याज को भारत की संचित निधि/भारतकोष में जमा नहीं किया है। राज्य ने अभी तक PFMS पर अपना लेजेसी डेटा जमा नहीं किया है। राज्य सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद वर्ष 2010-11 में स्वीकृत 11 इकाइयों, वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 2 इकाइयों, वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 3 इकाइयों, वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 25 इकाइयों, वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 11 इकाइयों एवं वर्ष 2021-22 में 12 इकाईयों पर अब तक क्रियान्वयन शुरू नहीं किया है।

PMJVK दिशानिर्देशों के अनुसार, समय की अधिकता और/या लागत में वृद्धि के कारण परियोजना लागत में किसी भी वृद्धि का वहन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केंद्र सरकार संगठन/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाना है।

फरवरी, 2022 में केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत 23 परियोजनाओं को संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में पुन: प्रस्तुत करने के लिए राज्य को वापस कर दिया गया था और राज्य सरकार को इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उनके पत्र दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से सूचित किया गया था।

*****